भा.कृ.अनु.प– भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान
लाइब्रेरी एवेन्यू, पूसा, नई दिल्ली–110012

सं. : 10(1)/2019–हिन्दी | दिनांक : 23 मई, 2019

परिपत्र

निदेशक, भा.कृ.सां.अ.सं. के अनुमोदन से संस्थान के विशेष रूप से विभिन्न प्रशासनिक श्रेणी के कार्मिकों के लिए, हिन्दी एकक की प्रभारी एवं सहायक मुख्य तकनीकी अधिकारी, सुश्री ऊषा जैन द्वारा 03 जून, 2019 को "राजभाषा नियम एवं हिन्दी यूनिकोड का उपयोग" विषय पर एक पूर्ण दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन संगणक भवन के सभागार/एमआईएस/एफएमएस लैब में किया जाएगा। कार्यशाला का पूर्ण विवरण इस परिपत्र के साथ संलग्न है ।

इस कार्यशाला में संस्थान के समस्त प्रभागों/अनुभागों/प्रकोष्ठों से कर्मियों की सहभागिता अपेक्षित है । अतः समस्त प्रभागाध्यक्षों/अनुभागाध्यक्षों/प्रभारियों से अनुरोध है कि वे इस कार्यशाला में सहभागिता हेतु अपने–अपने प्रभाग, अनुभाग एवं प्रकोष्ठ से कम से कम दो–दो कर्मियों को नामित करने की कृपा करें । यदि किसी प्रभाग, अनुभाग एवं प्रकोष्ठ से अधिक कर्मी सहभागिता हेतु इच्छुक हों तो उनके भी नाम भेजे जा सकते हैं ।

हिन्दी कार्यशालाओं के आयोजन के संबंध में भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के निदेशक (कार्यान्वयन) के 29 फरवरी, 2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 12019/81/ 2015–रा.भा.(का.–2)/ पार्ट–2 के संबंध में लिए गए निर्णय के दृष्टिगत समस्त प्रभागाध्यक्षों/अनुभागाध्यक्षों/प्रभारियों से अनुरोध है कि हिन्दी कार्यशालाओं में नामाकंन करते समय यह ध्यान रखा जाए कि उनके अधीनस्थ कार्यरत सभी कर्मियों को दो वर्षो की अवधि (10 अक्टूबर, 2018 से आरंभ) में कम से कम एक बार हिन्दी कार्यशाला में सहभागिता करने का अवसर मिल सके ।

उपरोक्त कार्यशाला में सहभागिता के लिए नामांकन 28 मई, 2019 तक हिन्दी एकक में भिजवाने की कृपा करें ।

यह परिपत्र निदेशक महोदय के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है ।

23/05/2019

(योगेश कादियान)
कार्यालय प्रधान

वितरण :

1. समस्त प्रभागाध्यक्ष, अनुभागाध्यक्ष, प्रभारी भा.कृ.सां.अ.सं. ।
2. निदेशक महोदय के निजी सहायक ।
3. कार्यालय प्रधान/सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी के निजी सहायक ।
4. अध्यक्ष, संगणक अनुप्रयोग प्रभाग से अनुरोध है कि कृपया इस परिपत्र को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था हेतु देखें ।
5. केयरटेकर/इलेक्ट्रीशियन – उचित व्यवस्था करने हेतु ।

हिन्दी कार्यशाला

''राजभाषा नियम एवं हिन्दी यूनिकोड का उपयोग''

03 जून, 2019

सुश्री ऊषा जैन

समय	विषय	स्थान
प्रातः 10:00–10:30 बजे	उद्घाटन – निदेशक महोदय द्वारा	संगणक भवन का सभागार
प्रातः 10:30–10.45 बजे	चाय	
प्रातः 10:45–12:00 बजे	राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम : 2019–20	
अपराह्न 12:00–01:00 बजे	राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3)	
अपराह्न 01:00–02.00 बजे	भोजन अवकाश	
अपराह्न 02:15–3:00 बजे	हिन्दी यूनिकोड का उपयोग	संगणक भवन एमआईएस/एफएमएस लैब
अपराह्न 03:00–3:45 बजे	हिन्दी में यूनिकोड का उपयोग करते हुए ई–मेल करने का अभ्यास	
अपराह्न 3:45–04:15 बजे	समापन समारोह एवं चाय	